12/09

वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र में बहस समाअत की गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादगत भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिसमें अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रार्थी को अपने कब्जा काश्त की भूमि से व हक व हिस्सा की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न ना करे व प्रार्थी को उसकी भूमि से बैदखल नहीं करें तथा निवेदन किया कि वादगत भूमि से संबंधित दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म फरमाई जावे।

वकील में अप्रार्थी सं. 5 ने निवेदन किया कि वादगत भूमि मेरी खरीद शुदा भूमि है । जिसको प्रार्थी ओमप्रकाश, अप्रार्थी जगदीश व मुनीराम ने खसरा नम्बर 1074 रकबा 2.31 हैक्टेयर में से पूर्वी पासा की पक्की सड़क पर तादादी 1.5174 हैक्टेयर भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 15.7.2019 को खरीद की है तथा मौके पर काबिज हो गया। परन्तु वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने आपस में दुरभि संधी करते हुऐ बाला बाला केवियट एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके मौका व रिकार्ड पर आपसी सहमती जाहिर करते हुए दिनांक 16.8.2019 को उपरोक्त वर्णित भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है ताकि प्रार्थी अपनी खरीद शुदा भूमि का नामान्तकरण दर्ज नहीं करवा सके तथा अप्रार्थी सं. 5 परेशान होता रहे अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र बोगस प्रार्थना पत्र की श्रेणी में आता है। वादगत भूमि में मुझ अप्रार्थी को 1.5174 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा विक्रय की जा चुकी है जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है। इस प्रकार प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का सिद्धान्तो पर खरा नहीं उतरता है। इसलिये प्रार्थी का यह प्रर्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

हमने वकुलाय फरीकैन की बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात आदि का ध्यान पूर्वक अध्ययन/अवलोन किया जिससे जिससे पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। चुंकि वादगत भूमि में से स्पेसिफिक पोरशन प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने आपसी सहमती से अप्रार्थी सं. 5 को वादगत भूमि में से 1.5174 हैक्टेयर भूमि विक्रय की जा चुकी है अतः पूर्ण भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने से अप्रार्थी 5 को अपनी खरीद शुदा भूमि के उपयोग उपभोग में असुविधा हो रही है प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होना प्रतीत नही हो रही है ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। इस पत्रावली में पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलाश सुनाया गया।

12/09

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2019.12.03 15:58:50 IST
Reason: SelfAttested